

Plexh/Cir/715

01.12.2025

सेवा में,

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/ सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: अत्यावश्यक: प्लास्टिक उत्पादों पर सीमा शुल्क छूट के विस्तार के संबंध में सुझावों का अनुरोध**

आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार सीमा शुल्क अधिसूचना (45/2025) दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से कुछ प्लास्टिक उत्पादों के लिए प्रदान की गई सीमा शुल्क छूट या सशर्त शुल्क दर की समीक्षा कर रही है।

रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग ने पांच प्लास्टिक उत्पादों (एचएस 3901, 3920, 3902, एचएस 39069090 और एचएस 39072910) पर उद्योग से सुझाव मांगे हैं, जिन पर रियायती सीमा शुल्क 31 मार्च, 2026 तक वैध है। इन उत्पादों और उनके रियायती सीमा शुल्क की सूची इस लिंक में दी गई है:

<https://docs.google.com/document/d/1vNRSsJw5qk0X7-uro8FOXag0bep6AdNr/edit?usp=sharing&ouid=108218688201736716589&rtpof=true&sd=true>

**सदस्य की कार्रवाई:**

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुझाव दें कि क्या उन्हें 31 मार्च, 2026 के बाद भी इस सीमा शुल्क छूट का विस्तार चाहिए। यदि हां, तो वे संबंधित एचएस कोड के लिए निम्नलिखित आंकड़ों के साथ अपने सुझाव को उचित ठहरा सकते हैं:

- घरेलू उत्पादन
- मौजूदा क्षमता
- नियोजित निवेश

आप अपने सुझाव [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org) या [shilpa@plexconcil.org](mailto:shilpa@plexconcil.org) पर भेज सकते हैं। **कल दोपहर 3 बजे तक (2 दिसंबर 2025)।**

आपकी समय पर प्रतिक्रिया से हमें सरकार को उद्योग समर्थित सिफारिश का मसौदा तैयार करने में मदद मिलेगी।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

**प्लेक्सकॉन्सिल**